बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,

Bihar State Tourism Development Corporation Ltd

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001

दूरभाष / Phone :- +91-612-2222622 फैक्स नं० / Fax No:- 0612-2506218

web : www.bstdc.bih.nic.in E-mail : contactbstdc@gmail.com

BSTDC

सं0सं0–202/17/टी0टी0/59/18 दिनांक–05.03.2018

गाँधी मैदान पटना में बिहार दिवस के आयोजन अवधि में व्यंजन मेला 2018 के आयोजन हेतु अनुभवी लब्ध प्रतिष्ठित केटरर/संस्था से प्रस्ताव का आमंत्रण।

दिनांक 22 मार्च 2018 से 24 मार्च 2018 तक गाँधी मैदान, पटना में व्यंजन मेला 2018 का आयोजन किया जाना है। स्टॉल का सम्भावित विभिन्न प्रकार के आकार 10 फीट x 13 फीट तथा 10 फीट x 15 फीट है। साईट कन्डीसन के अनुसार स्टॉल के आकार में परिवर्तन हो सकता है। इच्छुक लब्ध प्रतिष्ठित केटरर/संस्था बिहार के सुप्रसिद्ध व्यंजन (cooked hot Vegetarion only meal) का निर्माण एवं उनका बिक्री करने के लिये निःशुल्क आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं।	अर्नेस्ट मनी 2000/– (दो हजार रूपये) प्रति स्टॉल आवेदन–पत्र का शुल्क 200/– (दो सौ रूपये)

नियमावली होटल कौटिल्य विहार, पटना से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में रू0–200/– भुगतान कर दिनांक 12.03.2018 के अपराह्न 04:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक दूकान के लिए अलग–अलग प्रस्ताव दिया जाना है। नियमावली निगम के वेबसाईट **www.bstdc.bih.nic.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सभी आवेदन निर्धारित आवेदन का शुल्क नगद एवं अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतेय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, भुगतेय स्थल, पटना हो के नाम से निर्माण कर दिनांक 16.03.2018 के 02:00 बजे अपराह्न तक जमा किया जा सकता है, जिसे उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोला जायेगा।

आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।

ह0/–

महाप्रबंधक

नियमावली

निविदा समर्पित करने की प्रक्रिया :

निविदा निर्धारित प्रपत्र (इस नियमावली के साथ संलग्न) में भरकर मुहरबन्द लिफाफे में दिया जाना है। जिस कार्य के लिये ऑफर दिया जा रहा है, उसका नाम स्पष्ट रूप से लिफाफा पर अंकित रहना चाहिए। निविदायें यथावत स्थिति अर्थात् (AS IS WHERE IS) ''जैसा है जहाँ है'' के आधार पर आमंत्रित की गई है। अतः आवेदक आवश्यक समझें तो संबंधित स्थल का निरीक्षण के पश्चात् अपना ऑफर निर्धारित तिथि के अन्दर दे सकते हैं। अर्नेस्ट मनी की राशि बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर भुगतेय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के नामे देय होगा। प्रत्येक दुकान को फ्लैक्स, सनबोर्ड से सजाने, पकवान का चित्र एवं उनके दर तालिका को लगाने का कार्य निविदादाता द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक स्टॉल में ''बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन'' व्यंजन मेला 2018 प्रमुखता के साथ लिखा जायेगा। सफल आवेदक द्वारा रू0 2,000/– (दो हजार रूपये) जमानत राशि के तौर पर जमा करना होगा जो व्यंजन मेला के समापन के उपरांत बिना किसी ब्याज के कंडिका संख्या– 19 के अनुसार वापस कर दिया जायेगा। अग्रधन की राशि का समायोजन सुरक्षित राशि में किया जायेगा।

1. (क) गाँधी मैदान, पटना में आयोजित होनेवाले बिहार स्थापना दिवस के अंतर्गत बिहार व्यंजन मेला 2018 का आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गाँधी मैदान, पटना में दिनांक 22.03.2018 से 24.03.2018 तक व्यंजन मेला संचालित होगा।

   पटना में रहनेवाले बड़े संख्या में नागरिक गाँधी मैदान, पटना में आयेंगे एवं बिहारी एवं अन्य व्यंजन का लुत्फ उठायेंगे। निगम इनके सफल आयोजन के लिए निगम कटिबद्ध है। खाने–पीने की व्यवस्था उच्च क्वालिटी का एवं खाद्य–सामग्री का निर्माण एवं विपणन बिल्कुल साफ–सुथरे एवं हाईजेनिक कंडीशन में हो, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य–सामग्री सर्व करने वाले व्यक्ति हाथ में ग्लब्स पहने होंगे तथा इसके निर्माण में लगे कुक इत्यादि सेफ, कैप, एपरन एवं साफ वर्दी पहने होंगे। खाद्य संबंधी सभी सामग्री ढ़क कर रखा जाना है ताकि मच्छर, मक्खी, कीट, इसे दूषित नहीं कर सके।

2. चयनित आवेदकों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित किया जायेगा।

3. (क) पटना में आयोजित होनेवाले व्यंजन मेला में आवेदक बिहार में मुख्य–मुख्य खाद्य सामग्री का ही स्टॉल लगायेंगे। प्रतिष्ठित ब्रांड के स्टॉल को प्राथमिकता दी जायेगी । प्रयास रहेगा कि अलग–अलग स्टॉल में अलग–अलग तरह का व्यंजन बेचा जाय।

   (ख) व्यंजन मेला में आवेदक/उद्यमी द्वारा बिहार के व्यंजनों तथा बिहार की मिठाईयाँ, नमकीन, निरामिष व्यंजनों का निर्माण स्टॉल में किया जायेगा। प्रत्येक स्टॉल में निर्माण किये जानेवाले व्यंजनों का प्रकार आवेदक/उद्यमी द्वारा बतलाया जायेगा, जिसकी लिखित सूचना निगम को दिया जाना है ताकि समय रहते निगम के ब्रैंडिंग के साथ खाद्य सामग्री का वैनार तैयार किया जा सके।

(ग) अलग–अलग स्टॉल में अलग–अलग व्यंजन बेचा जाना है तथा यह निगम द्वारा तय किया जायेगा।

4. किसी भी परिस्थिति में बासी सामग्री संवेदक द्वारा सर्व नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर उनके द्वारा जमा किए गए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

5. कार्यस्थल यथावत् स्थिति में आवंटित किया जायेगा तथा वापसी के समय जिस स्थिति में उन्हें आवंटित किया गया है उसी स्थिति में वापस किया जाना है।

6. आवंटी को उच्चस्तरीय केटरिंग कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इन्हें इससे संबंधित सभी प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। केटरिंग कार्य में दक्षता प्राप्त फर्म को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

7. व्यंजन मेला लगाने वाले फर्म का वार्षिक कारोबार कम से कम एक लाख रूपया होना चाहिए। इससे संबंधित प्रमाण दाखिल करना आवश्यक होगा।

8. आवंटी आवंटित कार्यस्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे।

9. आवंटी द्वारा आवश्यक उपस्करों, फर्नीचरों, बर्तन, क्रॉकरी आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर किया जायेगा।

10. आवंटी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार–पटल पर्यटन निगम के अनुमोदन के पश्चात् लगाना होगा। आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा नहीं किया जायेगा।

11. आवंटी आवंटित सम्पदा के आन्तरिक जल निकासी, पानी का पाईप, बिजली के तारों एवं अन्य सिवरेज की व्यवस्था अपने खर्च पर ठीक रखना सुनिश्चित करेंगे। कार्यस्थल एवं इसके आस–पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। प्रत्येक स्टॉल पर आवेदक द्वारा कम से कम एक डस्टवीन रखा जायेगा। अपने दूकान के सामने के भाग को हमेशा स्वच्छ रखा जायेगा।

12. आवंटी द्वारा सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख–रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा।

13. प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवंटी द्वारा किये जा रहे कार्य, पकवान आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।

14. आवंटी द्वारा कार्यस्थल में सफाई, स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं आवंटी द्वारा आगन्तुकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर खाद्य–सामग्री इत्यादि सुविधा उचित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी एवं आगन्तुकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

15. आवंटी के द्वारा किसी प्रकार का संवैधानिक भुगतान नहीं करने के कारण डिफोल्टर होने पर निगम द्वारा उक्त राशि का भुगतान कर दिया जायेगा एवं भुगतान की राशि को जुर्माना सहित वसूल किया जायेगा एवं उनके द्वारा जमा किया गया अग्रधन जब्त कर लिया जायेगा।

16. आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् यदि समयानुसार कार्य नहीं की जाती है तो आवंटी द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।

17. आवंटन प्रपत्र निर्गत होने अथवा आवेदन–पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवेदन Refuse करते हैं या कोई शर्त्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि जब्त समझी जायेगी।
18. खाद्य एवं श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का आवंटी पूर्णरूपेण पालन करेंगे। इस संदर्भ में सभी प्रकार की जवाबदेही आवंटी की होगी।
19. सुरक्षित राशि की वापसी बिना किसी सूद के यदि किसी सामग्री की क्षति पहुँचायी गयी हो तो क्षति के विरूद्ध समतुल्य राशि के समायोजन के पश्चात् लौटाई जायेगी।
20. आवंटित को ज्वलनशील पदार्थ के उपयोग के लिए अग्निशमन नियमों का पालन कड़ाई से करना होगा।
21. आवंटित को आवंटित क्षेत्र में जल जमाव एवं कीचड़ नहीं होने देना होगा। इसका पूरा–पूरा ध्यान रखा जायेगा।
22. बिहार में नशाबंदी पूर्णरूपेण लागू है। अतः किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का उपयोग क्रय, विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उलंधन पर कठोर विधि सम्मत कार्रवाई की जायगी।

ह0 / –

महाप्रबंधक